न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 122/2011

उनवान

दिलीपसिंह पुत्र श्री भैंरूसिंह, उम्र 45 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी राठौडों की ढाणी, ग्राम धवली, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

––वादीगण

बनाम

1. प्रभातीलाल पुत्र श्री श्योबक्स
2. सुवालाल पुत्र श्योबक्स
3. रामकिशोर पुत्र श्योबक्स

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा ए, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 29.11.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके ग्राम मोरीजा ए, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता संख्या 263 खसरा नम्बर 1659 रकबा 0.58 हैक्टेयर स्थित है। जो इस वाद में विवादित भूमि है। जिसके आगे के मदों में भूमि विवादग्रस्त कहा गया है।

उक्त भूमि विवादग्रस्त की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज है, जिसका उपयोग उपभोग कर फायदा उठाते चले आ रहे है तथा नियमित रूप से लगान सरकार में जमा करवाते आ रहे है।

वादी की खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1659 के पश्चिमी सीमा के सीमाजोड खसरा नम्बर 1655 के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि की आये दिन सीमाओं के साथ छेडछाड करते है। वादी की कब्जे की भूमि की सीमाओं को फोडने पर आमादा रहते है।

प्रतिवादीगण सं. 1 लगा0 3 वादी को आये दिन हैरान व परेशान करते है। तथा सीमाओं के साथ छेडछाड करते है तथा वादी की जमीन पर अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण कर लेना चाहते है जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 पे अपनी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नही करवाई, जबरदस्ती पुख्ता निर्माण व तारबाऊण्ड्री वादी की भूमि पर लठ केबल पर कर लेना चाहते है तथा उपयोग उपभोग मे महाहमत व मदादखलत करते है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 दिनांक 06.01.2017 को एकराय होकर वादी की कब्जे काश्त की भूमि की सीमा पर आ गये व सीमा को फोडने लग गये तथा पुख्ता निर्माण व तारबाउन्ड्री करने पर आमादा हो गये, जिस पर वादी ने मना किया जो यह लोग मारपीट पर उतारू हो गये। जिससे वादी को वाद पत्र पेश करना लाजमी आया है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 3 वादी को विवादीत भूमि के उपयोग उपभोग मे मजाहमत व मदादखल नही करे तथा सिमाओं के साथ छेडछाड नही करें, ना ही लठ के बल पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाये तारबाउन्ड्री व पुख्ता निर्माण करें तथा ना ही उक्त कार्यवाही स्वयं करें ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवाये।

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग

Scanned by CamScanner

के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या 283 खसरा नम्बर 1659 रकबा 0.58 हैक्टेयर ग्राम मोरीजा पटवार हल्का मोरीजा ए, तहसील चौमूं का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– हिम्मत सिंह

मु.न. 122/2011

उनवान

दिलीपसिंह पुत्र श्री भैंरूसिंह, उम्र 45 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी राठौडों की ढाणी, ग्राम धवली, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

––वादीगण

बनाम

4. प्रभातीलाल पुत्र श्री श्योबक्स
5. सुवालाल पुत्र श्योबक्स
6. रामकिशोर पुत्र श्योबक्स

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा ए, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या 283 खसरा नम्बर 1659 रकबा 0.58 हैक्टेयर ग्राम मोरीजा पटवार हल्का मोरीजा ए, तहसील चौमूं का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर खुले न्यायालय मे आज तारीख 29.11.2019 को जारी किया गया।

मोहर

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोट:– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.29 15:32:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: